उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248006

दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180

ईमेल : **secy-uic@gov.in** वैबः **http://uic.uk.gov.in**

पत्रांक 1976 / उ0सू0अ0 / 2022–23 दिनांक 25/5/ 2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड

विषय :– **उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक / निजी सचिव के पदों को प्रतिनियुक्ति / सेवास्थानान्तरण के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक लेवल–6 के 03 पदों और निजी सचिव लेवल–07 के 02 पदों और निजी सचिव लेवल–08 के 01 पद पर एक वर्ष के लिए अथवा आयोग में आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियमित चयन होने तक जो भी पहले घटित हो, प्रतिनियुक्ति / सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सदृष्य लेवल में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव / निजी सचिव से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो कम से कम आशुलिपिक के रूप में 02 वर्ष, वैयक्तिक सहायक के रूप में 02 वर्ष, अपर निजी सचिव / निजी सचिव के रूप में 01 वर्ष का अनुभव रखते हैं, वे अपना आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा आयोग की ई–मेल secy-uic@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

उपरोक्त संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए है कि कृपया विभाग में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव / निजी सचिव को आयोग की विज्ञप्ति से अवगत कराने का कष्ट करें। आयोग के द्वारा जारी विज्ञप्ति, सेवा की शर्ते, व आवेदन / अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(रज़ा अब्बास)
उप सचिव

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248006

दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180

ईमेल : **secy-uic@gov.in** वैब: **http://uic.uk.gov.in**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक लेवल–6 के 03 पदों और निजी सचिव लेवल–07 के 02 पद और निजी सचिव लेवल–08 के 01 पदों पर एक वर्ष के लिए अथवा आयोग में आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियमित चयन होने तक जो भी पहले घटित हो, प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सदृष्य लेवल में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव/निजी सचिव से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कार्मिक जो कम से कम आशुलिपिक के रूप में 02 वर्ष, वैयक्तिक सहायक के रूप में 02 वर्ष, अपर निजी सचिव/निजी सचिव के रूप में 01 वर्ष का अनुभव रखते हैं, वे अपना आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा आयोग की ई–मेल secy-uic@gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। संबंधित पद पर चयन साक्षात्कार के उपरान्त किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों जिनके साथ विभागीय अनापत्ति संलग्न होगी, पर ही आयोग के द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य सेवा शर्तें आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा आयोग की ई–मेल – secy-uic@gov.in अथवा आयोग के व्हाट्स एप्प नम्बर 9412052000 से अनुरोध करने पर, संबंधित को ई–मेल/व्हाट्स एप्प से प्रेषित कर दी जाएगी।

अरविन्द कुमार पाण्डेय, सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक/ निजी सचिव के पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सदृष्य लेवल में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव/निजी सचिव हेतु आवेदन पत्र

कार्मिक का नाम ....

पदनाम ....

जन्म तिथि ....

विभाग का नाम जहॉ कार्यरत हैं ....

राजकीय सेवा में आने की तिथि ....

दूरभाष/मो0नम्बर/ईमेल ....

कार्य अनुभव –

1	आशुलिपिक के रूप में कार्य अवधि	
2	वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य अवधि	
3	अपर निजी सचिव के रूप में कार्य अवधि	
4	निजी सचिव के रूप में कार्य अवधि	
5	विभाग का नाम जहॉ कार्य किया गया है।	
6	वर्तमान में धारित पद का लेवल	
7.	वर्तमान में धारित पद नाम व धारित पद पर कब से कार्यरत हैं	

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक/ निजी सचिव के पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सदृष्य लेवल में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव/निजी सचिव हेतु चयन की प्रकिया एवं अन्य सेवा शर्ते

1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग में रिक्त वैयक्तिक सहायक लेवल–6 के 03 पदों और निजी सचिव लेवल–07 के 02 पदों और निजी सचिव लेवल–08 के 02 पद पर एक वर्ष के लिए अथवा आयोग में आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियमित चयन होने तक जो भी पहले घटित हो, प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य सेवा के सदृष्य लेवल में कार्यरत आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव/निजी सचिव से भरा जाएगा।

2. इच्छुक कार्मिक जो कम से कम आशुलिपिक के रूप में 02 वर्ष, वैयक्तिक सहायक के रूप में 02 वर्ष, अपर निजी सचिव/निजी सचिव के रूप में 01 वर्ष का अनुभव रखते हैं, के आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा आयोग की ई–मेल secy-uic@gov.in के माध्यम से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किये जाएंगे।

3. आयोग में रिक्त पदों पर चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा।

4. नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.06.2023 तक प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों जिनके साथ विभागीय अनापत्ति संलग्न होगी, पर ही आयोग के द्वारा विचार किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य सेवा शर्तें आयोग कार्यालय से अथवा आयोग की ई–मेल – secy-uic@gov.in या व्हाट्स एप्प नम्बर 9412052000 से अनुरोध कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

6. चयनित कार्मिक को सेवा स्थानान्तरण की सेवा शर्तो के अनुसार वही वेतन प्राप्त होगा जो अपने मौलिक विभाग में प्राप्त कर रहे हैं। मकान किराया भत्ता /पर्वतीय भत्ता की अनुमन्ता देहरादून जनपद के अनुसार होगा। प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

7. कार्मिक का कार्य एवं व्यवहान संतोषजनक न पाये जाने पर आयोग निर्धारित समयावधि से पूर्व ही मूल विभाग को वापस कर सकेगा। उक्त नियुक्ति किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी।

8. आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आयोग के द्वारा आवेदन पत्रों की छटनी की जाएगी। छटनी के उपरान्त साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाये गये आवेदकों को ही अन्तिम चयन के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

9. साक्षात्कार हेतु आवेदकों को आयोग के द्वारा कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

10. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा प्रकाशित इस विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किये जाने पर, उक्त संशोधन आयोग की वेबसाइट **http://uic.uk.gov.in** पर देखा जा सकता है। इस हेतु कोई पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाएगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....
दिनांक .... से ....
विभाग में .... के पद पर कार्यरत हैं।

श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध विभाग में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है अथवा लम्बित नहीं हैं। उनका आचरण और व्यवहार संतोषजनक है।

श्री/श्रीमती .... का उत्तराखण्ड सूचना आयोग में वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव, लेवल–7/निजी सचिव/लेवल–8 के पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार परएक वर्ष अथवा आयोग में आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियमित चयन होने तक जो भी पहले घटित हो तक परन्तु 05 वर्ष से अनाधिक्य सेवा अवधि के लिए नियुक्त किये जाने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर ....
नियुक्ति प्राधिकारी का नाम ....
नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम ....
विभाग का नाम...